संख्या– 98 /VI/2017–71(1)2017

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग **देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषयः– **पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3369/सं0नि0उ0/दो–3/2016–17 दिनांक 09.03.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति विभाग के अन्तर्गत भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, अल्मोड़ा के लिए 16–व्यावसयिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष में ₹8,36,000 लाख (रू0 आठ लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम–09 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी हैः–

(i) उक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) मितव्ययी मदों में व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

(iii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उक्त धनराशि का भुगतान वास्तविक व्यय एवं संगत वित्तीय मानकों के प्राविधानानुसार ही किया जायेगा।

4– व्यय के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2–

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–101–ललित कला शिक्षा–03–भाखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालये–03–मंहगाई भत्ता मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्न बी0एम–09 के कॉलम–1 में इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 151(NP)/XXVII(3)/2016–17 दिनांक 28 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

संख्या– 92 /VI/2017–71(1)2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
अनुसचिव।